न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

। सं0 :03/2019

न :

दलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सरदागढिया तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

रामचन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी सरदागढिया तहसील भादरा।
राजमल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
सरोज पुत्री रामचन्द्र पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया हाल निवासी पटवा तहसील भादरा।
. गायत्री पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी सरदारगढिया हाल निवासी पटवा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादी**
वकील श्री सतवीर बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 11.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एम.एस.आर के ता सं. 58/62 मु.न. 5 के किला नं. 21 ता 24 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.013 हैक्टर गै. रास्ता, किला नं. 25 सम्पूर्ण गै.मु. रास्ता 0.025 हैक्टर कुल किता 5 की 1.265 टर, गै0मु0 रास्ता 0.077 हैक्टर, नहरी 1.188 हैक्टर, मु.न. 6 के किला नं. 1 ता 13 पूर्ण, किला नं. 5 व 6 में गै0मु0 रास्ता 0.013 हैक्टर, कुल किता 13 की 3.289 टर, नहरी 3.263 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0.026 हैक्टर, खाते का कुल योग कुल ला 18 की 4.554 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0.103 हैक्टर, नहरी 4.451 हैक्टर वादी के दा भादर के भाई कुम्भकरण की हुआ करती थी। कुम्भकरण की मृत्यु के बाद उक्त राजी कुम्भकरण की पत्नी माडी के नाम से ओद हो गई। उनके कोई ओलाद नही इसलिए उक्त आराजी माडी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं. 1 रामचन्द्र के नाम से र्ज हो गई व चक नं. 6 एम.एस.आर के खाता नं. 50/79 के मु.न. 25 के किला नं. , मु.न. 26 के किला नं. 1, 10 सम्पूर्ण नहरी, वादी के दादा भादर के भाई म्भकरण की हुआ करती थी। जो उसकी मृत्यु के बाद माडी के नाम से ओद हो ई। उनके कोई जरीना ओलाद नही होने के कारण प्रति... के नाम से ओद । गई। सत्यप्रति जमाबंदी सम्वत 2060 ता 63 संलग्न ... है। यही बिनाय ावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी के दादा भादर व उसके भाईयों कुम्भकरण व मुन्शी की मृत्यु हो चुकी है। ादर के कुल 3 वारिसान थे। कुम्भकरण व मुन्शी के कोई औलाद नही थी। उनके ाम दर्ज खातेदारी आराजी फैमीली सेटलमेन्ट के हिसाब से भादर के लड़के ामचन्द्र,बलबीर व सुभाष में ओद हो गई। कुम्भकरण के नाम दर्ज आराजी रामचन्द्र

...कारी (राजस्व)
...ला-हनुमानगढ़

को, भादर के नाम दर्ज आराजी बलबीर को व मुन्शी के नाम दर्ज आराजी सुभाष को ओद हो गई।

उक्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है, जिसमें वादी व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का अपनी पिता प्रतिवादी नं. 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी नं. 3 व 4 की शादी अच्छे घर में की हुई है। वहां पर उसकी चल अचल सम्पति है। इसलिए उसने वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा मिन वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पक्ष में शादी के बाद तर्क कर दिया है और वादभूमि वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी नं. 1 के नाम से वादभूमि दर्ज होने के कारण वादी की हक तलफी होती है और वह बिना किसी जायज जरूरत के वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी चक 8 एम.एस.आर के खाता नं. 113/99 की कुल 4.5540 हैक्टर, नहरी 4.4510 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0.1030 हैक्टर व चक नं. 6 एम. एस.आर के खाता नं. 73/70 के कुल खसरा 3 की 0.7590 हैक्टर खातेदारी आराजी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। बाद घोषण इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को बमुकाम सरदारगढिया में दिनांक 01.01.19 को वादभूमि उसके नाम दर्ज करवाने का काह तो वह ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व बाद पत्रावली में वादी पीडब्ल्यु 1 दलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा के बयान करवाए गए दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एम.एस.आर खाता सं0 58/62 सम्वत् 2060 से 63 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 एम.एस.आर खाता सं0 50/79 सम्वत् 2060 से 63 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एम.एस.आर खाता सं0 113/99 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 एम.एस.आर खाता सं0 73/70 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 4, असल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सरदारगढिया प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 8 एम.एस.आर के खाता नं. 113/99 की कुल 4.5540 हैक्टर, नहरी 4.4510 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0. 1030 हैक्टर व चक नं. 6 एम.एस.आर के खाता नं. 73/70 के कुल खसरा 3 की 0. 7590 हैक्टर खातेदारी आराजी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एम.एस.आर के खाता संख्या 113/99 की मु.न. 5 के किला नं. 21 ता 24 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.013 हैक्टर गै0मु0 रास्ता, किला नं. 25 सम्पूर्ण गै0मु0 रास्ता 0.025 हैक्टर कुल किता 5 की 1.265 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0.077 हैक्टर, नहरी 1.188 हैक्टर, मु.न. 6 के किला नं. 1 ता 13 सम्पूर्ण, किला नं. 5 व 6 प्रत्येक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

गै0मु0 रास्ता 0.013 हैक्टर, कुल किता 13 की 3.289 हैक्टर, नहरी 3.263 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0.026 हैक्टर, खाते का कुल योग कुल किला 18 की 4.554 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता 0.013 हैक्टर, नहरी 4.451 हैक्टर व चक नं. 6 एम.एस.आर के खाता नं. 73/70 के मु.न. 25 के किला नं. 21, मु.न. 26 के किला नं. 1, 10 सम्पूर्ण नहरी कुल किता 3 की 0.7590 हैक्टर खातेदारी आराजी जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज है उक्त आराजी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 3 व 4 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 3 व 4 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी दलवीर व प्रतिवादीगण रामचन्द्र व राजमल को 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/1/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:39 IST
Reason: SelfAttested